न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 134/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/266

दायर दिनांक :– 17.08.2022 **निर्णय दिनांक :–** 22.05.2026

वादीगण

1. सुदामाराम पुत्र सुरताराम
2. राजू पुत्र श्रवणराम
3. राकू पत्नि तोगाराम
4. रामचन्द्र पुत्र तोगाराम
5. धर्माराम पुत्र तोगाराम
6. बागाराम पुत्र तोगाराम
7. युवराज पुत्र जेठाराम
8. लाछो पत्नि जेठाराम
9. नरपत पुत्र जेठाराम नाबालिग
   जरिये कुदरती वलीया माता
   लाछो पत्नि जेठाराम
   जाति मेघवाल निवासी दुर्जनी
   तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. देदाराम पुत्र मंगलाराम
2. अर्जुनराम पुत्र अमोलकराम
3. प्रयागाराम पुत्र अमोलकराम
4. राजों पत्नि अमोलकराम
   जाति मेघवाल निवासी दुर्जनी
   तहसील बाप जिला जोधपुर
5. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर (162–12 बीघा) सरहद मौजा दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा व अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा का 1/4 हिस्सा बंट में आता था। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा फौत हो चुके है जिनके वारिसान निम्न प्रकार से है :–

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

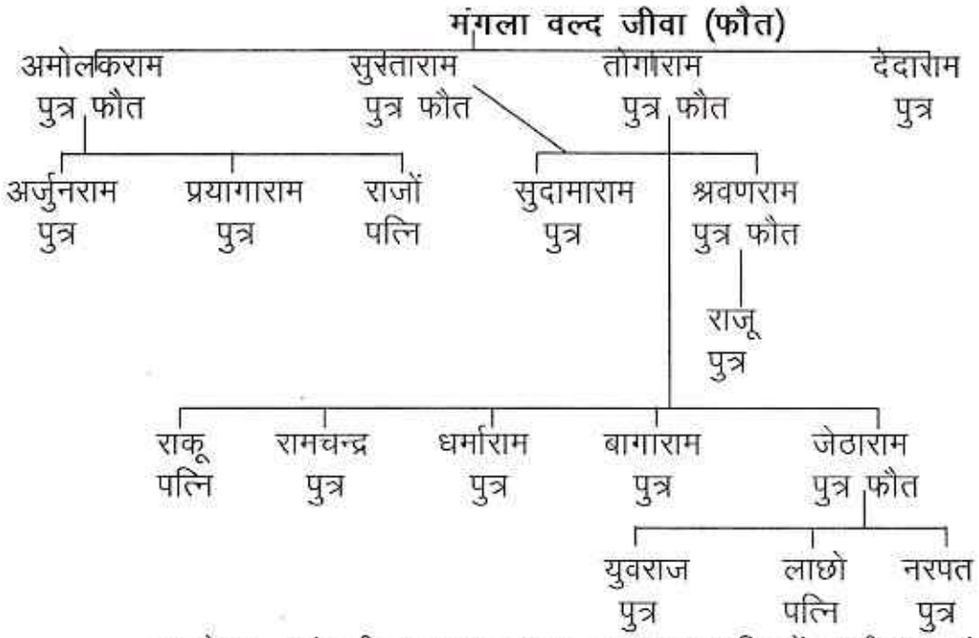

उपरोक्त वशांवली अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार ही वादीगण मौके पर काबिज है। इसलिये वादीगण अपनी पैतृक ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर (162–12 बीघा) में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा जब फौत हुऐ तो प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के पूर्वज अमोलकराम ने पटवारी हल्का से मिलावट कर मुतवफी मंगला वल्द जीवा के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 63 मौजा दुर्जनी अपने नाम से ही भरवा कर वादीगण के पूर्वजों सुरताराम व तोगाराम को शामिल किये वगैर ही सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया। वादीगण के पूर्वज तोगाराम व सुरताराम भी मंगलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। नामान्तरकरण सं. 63 मौजा दुर्जनी मंगला वल्द जीवा के नाम दर्ज दो अलग–अलग खातों में भरा जाकर स्वीकृत किया गया था। इसी नामान्तरकरण से खाता सं. 73 में वादीगण के पूर्वजों सुरताराम व तोगाराम का नाम शामिल करवाया गया था लेकिन इसी नामान्तरकरण में विवादग्रस्त भूमि के खाता सं. 90 में वादीगण के पूर्वजों सुरताराम व तोगाराम का नाम शामिल करने से सरासर गलत रूप से छोड़ दिया। जबकि वादीगण भी मंगला वल्द जीवा की जायन्दा वारिस है और उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त नामान्तरकरण सं. 63 मौजा दुर्जनी खारिज काबिल के है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का कभी अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादीगण नामान्तरकरण सं. 63 मौजा दुर्जनी को खारिज करवाकर ग्राम दुर्जनी पटवार

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर (162–12 बीघा) में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है जिस पर वादीगण का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके, पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसलिये वादीगण ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर (162–12 बीघा) में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बावजूद तामिल नोटिस हाजिर नहीं हुवे लिहाजा इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि नामान्तरकरण संख्या 67 मौजा दुर्जनी मंगला वल्द जीता का विरासत नामान्तरकरण है। खाता संख्या 73 में मंगला वल्द जीता के चार पुत्र दर्शाये गये है तथा इसी नामान्तरकरण में खाता संख्या 90 में मंगता वल्द जीता के दो पुत्र दर्शाये गये है। सुरताराम व तोगाराम का नाम खाता संख्या 90 में दर्ज नहीं हुआ है जो नामान्तरकरण संख्या 67 मौजा दुर्जनी से प्रमाणित है। ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर भूमि के वाद का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय किया जाना उचित है। वादी संख्या 4 रामचन्द्र ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबंद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर (162–12 बीघा) सरहद मौजा दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा व अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसमें वादीगण एवं

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा का 1/4 हिस्सा बंट में आता था। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा फौत हो चुके है जिनके वारिसान वाद में वर्णित अनुसार है और उपरोक्त वशांवली अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार ही वादीगण मौके पर काबिज है। इसलिये वादीगण अपनी पैतृक ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर (162–12 बीघा) में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा जब फौत हुऐ तो प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के पूर्वज अमोलकराम ने पटवारी हल्का से मिलावट कर मुतवफी मंगला वल्द जीवा के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 63 मौजा दुर्जनी अपने नाम से ही भरवा कर वादीगण के पूर्वजों सुरताराम व तोगाराम को शामिल किये वगैर ही सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया। वादीगण के पूर्वज तोगाराम व सुरताराम भी मंगलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। नामान्तरकरण सं. 63 मौजा दुर्जनी मंगला वल्द जीवा के नाम दर्ज दो अलग–अलग खातों में भरा जाकर स्वीकृत किया गया था। इसी नामान्तरकरण से खाता सं. 73 में वादीगण के पूर्वजों सुरताराम व तोगाराम का नाम शामिल करवाया गया था लेकिन इसी नामान्तरकरण में विवादग्रस्त भूमि के खाता सं. 90 में वादीगण के पूर्वजों सुरताराम व तोगाराम का नाम शामिल करने से सरासर गलत रूप से छोड़ दिया। जबकि वादीगण भी मंगला वल्द जीवा की जायन्दा वारिस है और उक्त भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त नामान्तरकरण सं. 63 मौजा दुर्जनी खारिज काबिल के है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का कभी अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादीगण नामान्तरकरण सं. 63 मौजा दुर्जनी को खारिज करवाकर ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर (162–12 बीघा) में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमावे।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर (0–01 बीघा) तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर (162–11 बीघा) कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में मंगला वल्द जीवा व अन्य सहखातेदारान के नाम से दर्ज थी जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा का 1/4 हिस्सा बंट में आता था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज मंगला वल्द जीवा जब फौत हुए तो प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 पूर्वज अमोलकराम ने मुतवफी मंगला वल्द जीवा के फौतेदगी का नामान्तरकरण सं. 63 मौजा दुर्जनी अपने नाम से ही भरवा कर वादीगण के पूर्वजों सुरताराम व तोगाराम को शामिल किये वगैर ही स्वीकृत करवा लिया जबकि वादीगण के पूर्वज तोगाराम व सुरताराम भी मंगला वल्द जीवा के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक को 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक को 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 को 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा अनुसार भूमि बंट में आती है लेकिन वर्तमान जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। इसलिये वादीगण को अपने हिस्से की घोषणा करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के स्थान पर वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक को 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक को 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 को संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 को 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे। इसी माफिक डिगरी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

Satya..
(सत्य नारायण—I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी : सत्य नारायण–। (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुदामाराम पुत्र सुरताराम		1. देदाराम पुत्र मंगलाराम
2. राजू पुत्र श्रवणराम		2. अर्जुनराम पुत्र अमोलकराम
3. राकू पत्नि तोगाराम		3. प्रयागाराम पुत्र अमोलकराम
4. रामचन्द्र पुत्र तोगाराम		4. राजों पत्नि अमोलकराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जनी तहसील बाप जिला जोधपुर
5. धर्माराम पुत्र तोगाराम		
6. बागाराम पुत्र तोगाराम		
7. युवराज पुत्र जेठाराम		5. श्रीमान तहसीलदार, बाप
8. लाछो पत्नि जेठाराम		
9. नरपत पुत्र जेठाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता लाछो पत्नि जेठाराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जनी तहसील बाप जिला जोधपुर		

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 134/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–। पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 353 रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 354 रकबा 26.3126 हैक्टेयर कुल रकबा 26.3207 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के स्थान पर वादीगण सं. 1 ता 2 प्रत्येक को 1/32–1/32 हिस्सा, वादीगण सं. 3 ता 6 प्रत्येक को 1/80–1/80 हिस्सा, वादीगण सं. 7 ता 9 को संयुक्त रूप से 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 को 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल यावी तक	फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसदस्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–।, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (कलां)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।